रेरा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कराएं

कार्यशाला

जासं, छपरा : भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने सारण प्रमंडल के जिलों के जिला एवं म्युनिसिपल प्रशासन से आग्रह किया है कि वे रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।''फ्लैट/भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 को लागू किया गया था। इसलिए जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन और अधिनियम के प्रविधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला एवं म्युनिसिपल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, रेरा बिहार के अध्यक्ष ने यहां रेरा बिहार द्वारा आयोजित एक संवेदीकरण-सह-अभिमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा।

समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते रेरा के बिहार अध्यक्ष● जागरण

उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिला प्रशासन से रेरा अधिनियम के प्रविधानों के अनुपालन करने के लिए रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रपत्र तैयार किया है, उसी तर्ज पर अब नगर निकायों, आयोजन क्षेत्रों एवं निबंधन विभाग से भी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रपत्र तैयार किए जाएंगे ताकि प्राधिकरण एवं इन ईकाइयों में सूचना का आदान प्रदान नियमित रूप से हो सके तथा रेरा कानून का पालन और प्रभावी ढंग से कराया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी जिला पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंचलाधिकारी नियमित रूप से रिपोर्ट दें ताकि रेरा अधिनियम के प्रविधानों का उलंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

सारण के आयुक्त गोपाल मीना ने प्राधिकरण को कार्यशाला आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया तथा कहा कि प्राधिकरण को यह प्रयास करना चाहिए कि पार्किंग स्थल के विषय में भी बिल्डर उचित सूचना दें ताकि घर खरीदार अपना घर खरीदने से पहले उचित निर्णय ले सकें।

सारण के जिला पदाधिकारी अमन समीर ने कहा कि प्राधिकरण को एक तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि निबंधित परियोजना की सूचना जिला प्रशासन को नियमित रूप से दी जा सके, जिससे जिला प्रशासन अनिबंधित प्रोजेक्ट की पहचान कर उनकी सूचना प्राधिकरण को नियमित रूप से दे सके। उन्होंने ये भी सुझाव दिया की मुख्या मार्गों के आस-पास के क्षेत्रों का ड्रोन द्वारा मासिक सर्वे कराया जाना चाहिए ताकि नई परियोजनाओं की विषय में आसानी से सूचना प्राप्त हो सके।